न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 31/2021

GCMS NO. : 2021/69

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. मल्ला पुत्र देवा फौत के का.मु. 1.1 केसुड़ी पत्नी मल्ला 1.2 गीता पुत्री मल्ला 1.3 गणकी पुत्री मल्ला 2. अमरा पुत्र देवा फौत के का.मु. 2.1 बिरजुड़ी देवी पत्नी अमरा 2.2 श्यामलाल पुत्र अमरा 2.3 बाबूलाल पुत्र अमरा 2.4 श्रवण पुत्र अमरा 2.5 मेदूराम पुत्र अमरा 3. पेमा पुत्र देवा जातियान–गुर्जर, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. बालूराम पुत्र गोपाराम 2. रूपाराम पुत्र गोपाराम 3. बाबूड़ी पत्नी पेमाराम जाति गुर्जर निवासीगण बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली। 4. तहसीलदार, जैतारण राजस्थान सरकार जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.24/03/2021

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शंकरलाल कुमावत, श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 23/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज मे प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1397 रकबा 3–13 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा बलून्दा मे आई हुई है इस जमीन के उत्तर दिशा मे बलून्दा से तेजपुरा जाने वाला रास्ता जो रेकर्डड रास्ता है और इस रास्ते के चिपते ही दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1400 रकबा 2–18 बीघा भूमि है जो भूमि अप्रार्थीगण की है तथा इस कृषि भूमि के अप्रार्थीगण रेकर्डड खातेदार काश्तकार है तथा इस कृषि भूमि के पश्चात दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1397 रकबा 3–13 [illegible] आराजी आई हुई है। प्रार्थीगण बलून्दा से तेजपूरा जाने वाले रास्ते से होकर [illegible] 1400 जो अप्रार्थीगण की भूमि मे उसमे से होकर के पीढ़ीया से अपने पिता के समय से [illegible] बैलगाडी ट्रेक्टर आदि से अपनी आराजी में आते जाते रहते [illegible] अपनी भूमि का [illegible] उपभोग करते है तथा खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई एवं समस्त कृषि कार्य करते है। नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जमाबन्दी खसरा नम्बर 1400 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। परन्तु खसरा नम्बर 1400 मे से होकर के गुजरने वाला रास्ता जो प्रार्थीगण की भूमि में जाता था वह रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही था केवल मात्र मौके पर रास्ता चलता और उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते। प्रार्थीगण की भूमि मे जाने का जो रास्ता पूर्व मे चल रहा था और अब प्रार्थीगण को जो रास्ता चाहिये वह रास्ता नजरी नक्शे मे हरे रंग से ए बी से सी डी प्रस्तावित रास्ते के रूप में दर्शाया गया है जो 1400 की भूमि मे से हरे रंग से प्रस्तावित किया गया है जो मार्क ए बी से सी डी है नकल नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे भी प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतू जो रास्ता 1400 में से होकर गुजर रहा था उस रास्ते को दिनांक 25/02/2021 को अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया एवं अप्रार्थीगण रास्ते के आलामात को खूर्द बुर्द करने पर आमादा है जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के इस गैरकानूनी कृत्य बाबत् अप्रार्थीगण को मना किया एवं औलबा दिया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि यह रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है एवं अब़ हम यहा से गुजरने नही देगे प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया व समझाईस की और रास्ते के बदले जमीन भी देने को कहा परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और रास्ता नहीं दिया तथा ही प्रार्थीगण को उनकी आराजी में जाने दिया जबकि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने के लिये नजरी नक्शे मे वर्णित प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर एवं आसपास मौजूद नहीं है नजरी नक्शे में जो प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है वह प्रार्थीगण की आराजी में जाने का सबसे सुलभ व निकटतम रास्ता है परन्तु राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थीगण ने प्रस्तावित रास्ते को खूर्द बूर्द करने पर आमादा है इसलिए नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में जाने का दर्शाया गया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने एवं मौके पर प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतू रास्ता कायम करने हेतू यह प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में जाने का कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं बचा तथा अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता देने से भी इंकार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण के समक्ष अपनी आराजी मे काश्त करने की समस्या उत्पन्न हो गई इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजी मे जाने हेतू खसरा नम्बर 1400 के भू भाग मे से नजरी नक्शे मे वर्णित हरे रंग से मार्क ए बी से सी डी प्रस्तावित रास्ते के भू भाग का नापचौप कर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी मे सावर्जनिक रास्ते का इन्द्राज किया जावे व मौके पर 20 फिट चौडा रास्ता कायम किया जावे इस हेतू यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की और से विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25/02/2021 को प्रार्थीगण की आराजी मे जाने हेतू रास्ते को खुर्द बुर्द करने एवं बंद करने पर आमादा होने तथा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी मे जाने हेतू कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है और न ही अप्रार्थीगण रास्ता देने को तैयार है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजी मे आने जाने काश्त करने हेतू खसरा नम्बर 1400 के भू भाग मे से नजरी नक्शे मे वर्णित प्रस्तावित रास्ते को सावर्जनिक रास्ता घोषित कर 20 फिट रास्ता कायम किया जावे तथा रास्ते भू भाग मे जाने वाली जमीन का रकबा तय किया जावे एवं उस रकबे को डी एल सी रेट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सकी दुगुनी राशि प्रार्थीगण जमा करवाने को तत्पर व तैयार है। इसलिए खसरा नम्बर 400 मे नजरी नक्शे मे वर्णित प्रस्तावित रास्ते के भू भाग का नापचौप कर 20 फट चौडा रास्ता कायम किया जावे व जो रास्ते का रकबा बनता है उसका भी इन्द्राज किया जाकर डीएलसी रेट से दुगुनी राशि जमा होते ही मौके पर रास्ता नियमानुसार दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से सार्वजनिक रास्ता का इन्द्राज किया जावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावे। 7 यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम बलून्दा मे स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खातौनी के सम्बन्ध में उल्लेख किया कि पैतृक पुश्तैनी है। इन तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 01 इंकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1400 ,1399 दोनो खसरा एक दूसरे से जुड़े हुये है। जिसके अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी कृषि भूमि के दक्षिण में प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1397 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा की सीमा/जोत खसरा नम्बर 1400 से नहीं के बराबर लगती है। खसरा नम्बर 1397 अधिकतर सीमा 1396, 1395, 1393 पर्याप्त सीमा लगती है। एवं प्रार्थीगण अपने खेतो में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1393, 1392 के बीच में रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग में लेते आ रहे है उक्त रास्ता से प्रार्थीगण बैलगाड़ी टेक्टर इत्यादि से अपनी आराजी में आते जाते रहते एवं अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 1400, 1399 में कोई रास्ता नही है न ही खसरा नम्बर 1400 की सीमा से खसरा नम्बर 1397 सीमा से जुड़ा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 के नजरी नक्शा में ए.बी.सी.डी में दर्शाया अनुसार आम रास्ता में प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने व रास्ता है। एवं प्रार्थीगण जानबूझकर नया रास्ता निकालने के लिये झूठा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो काबिल खारिज के योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खेत से खसरा नम्बर 1393, 1395, 1396 की पर्याप्त सीमा लगती है। एवं प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1397 में आने जाने के रास्ते का उपयोग उपभोग करते है वह रास्ता खसरा नम्बर 1393, 1392 के बीच में स्थित खसरो मे से आने जाने व कृषि सम्बन्धित साधन को लेकर आते जाते रहते है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग बिना रोट टोक व शान्ति पूर्वक [illegible] आ रहे है। प्रार्थीगण की नियत खराब होने से एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] नया रास्ता निकालकर पुरानी रंजिश निकालने के लिये खेत खसरा नम्बर 1400 से सीमा नही लगते हुये भी खसरा नम्बर 1395, 1396, 1393, 1392 में से रास्ता होते हुये भी नया रास्ता कायम करने के लिये तथाकथित नजरी नक्शे में हरे रंग रास्ता ए.बी.सी.डी. बताया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जबकि ऐसे रास्ता खसरा नम्बर 1400 में नहीं है जो रास्ता प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करीब 100 वर्षो से अधिक समय से लेते आ रहे है वह अप्रार्थीगण के नजरी नक्शा में ए,बी,सी,डी पीले रंग से दर्शायानुसार उपयोग शान्ति पूर्वक ले रहे है। खसरा नम्बर 1400 से सीमा तक नहीं लगती है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज करने के योग्य है। प्रतिवाद के साथ नजरी नक्शा व फोटूग्राफ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1400, 1399 मे कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण जिस रास्ता का उपयोग करता आ रहा है वह रास्ता खसरा नम्बर 1393, 1392 के बीच में होकर रास्ता खसरा नम्बर 1397 में जाता है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 1400 से खसरा नम्बर 1397 की सीमा तक नहीं लगती है इसलिये जानबूझकर गलत तारीख 25.02. 2021 प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से उल्लेखित की है। प्रार्थीगण करीबन 100 वर्षो से रास्ता का उपयोग करता है अप्रार्थी संख्या 01 के नजरी नक्शा में दर्शायानुसार खसरा नम्बर 1393, 1392 मे से होकर कायम किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण जिस रास्ता से उपयोग करता आ रहा है। उसके खसरा नम्बर 1397 की सीमा से जुड़े खसरा नम्बर 1393, 1396, 1395 उनमें से होकर रास्ता कायम किये जाने के योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित तथ्य गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर गलत नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 1400 उल्लेख किया है जबकि खसरा नम्बर 1399, 1400 की रास्ते की सीमा पर नही है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1397 के उत्तर में खसरा नम्बर 1396, 1395 स्थित है। एवं खसरा नम्बर 1397 के पश्चिम सीमा पर खसरा नम्बर 1393 एक मात्र खसरा है। जिसके किनारे किनारे 100 वर्षो से रास्ता का उपयोग करता आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 1393 मे से होकर रास्ता को अप्रार्थी संख्या 01 नजरी नक्शा ए, बी, सी, डी दर्शायानुसार कायम किये जाने के योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित तथ्य गलत व झूठे होने से अस्वीकार करने के योग्य है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1397 सीमाओं के अनुसार रास्ता का क्लेम करना चाहिये। जिस रास्ते का प्रार्थीगण करीबन 100 वर्षो से पीढ़ी दर पीढी उपयोग करता है उस रास्ते का क्लेम करना चाहिये। न कि कोई नया रास्ता अपनी स्वार्थी पूर्ति लिये खसरा नम्बर 1397 की सीमा से हटकर पुरानी रंजिश व पारिवारीक दुश्मनी निकालने के लिये जानबूझकर अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज करने के योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित तथ्य गलत झूठे व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण की प्रार्थना हे जो स्वीकार करने के योग्य नही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथनों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 1400 की भूमि जवाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का होना व रहना होने से स्वीकार है। लेकिन इस पद में प्रार्थीगण का यह कथन कि उसका आवागमन खसरा नम्बर 1400 की भूमि से होते हुये खसरा नम्बर 1397 की भूमि तक के बाबत पीढ़ियो से चला आ रहा होने से सम्बन्धित तथ्य/कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्वीकार है। बल्कि इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि राजस्व मौजा लुन्दा में स्थित खसरा नम्बर 1293 गै.मु. रास्ता की भूमि है जो मौके पर बतौर आवागमन के काम में ली जा रही है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर 1293 की भूमि से पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 1393 की भूमि पाचुड़ी पत्नि शंकरजी माली व खसरा नम्बर 1392 की भूमि बाबुलाल माली व अन्य की खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 1393 व 1392 के पूर्वी तरफ प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1397 की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1397 में आवागमन आज दिन तक खसरा नम्बर 1392 व 1393 की माठ से होते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आवागमन का रास्ता मौके पर चालू हालत में है जिसका नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। इस प्रकार से स्वीकृत रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता मौके पर चालू हालत में है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने जवाब देहन्दा को तंग व परेशान करने की मंशा से खसरा नम्बर 1400 की भूमि से होते हुये नया रास्ता कायम किये जाने बाबत जो अनुतोष चाह है जो कतई गलत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 1400 की भूमि से होकर कभी भी नहीं रहा है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने झूठी कार्यवाही करने की मंशा से दिनांक 25.02.2021 को विवाद करने व प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध कर देने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर उस झूठे नजरी नक्शे को आधार बनाकर उनमें मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता होना झूठा बताया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही कतई गलत है। मौके पर पिढियो से रास्ता खसरा नम्बर 1392 व 1393 की माठ से होता हुआ चल रहा है। जो खसरा नम्बर 1293 रास्ते से निकलता है। इस प्रकार से मौके पर चल रहे रास्ते की मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मौके पर चल रहे रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क एम से एन से दर्शाया जा रहा है। साथ ही मौके पर पिढियो से चल रहे रास्ते के तथ्यों का छुपाते हुये प्रार्थीगण ने इस कार्यवाही में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये रास्ता होना उल्लेखित किया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी स्थान से रास्ते लेने के भी कतई अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थीगण का रास्ता जवाब देहन्दागण की ओर से प्रस्तुत जवाब में दर्शाये अनुसार मौके पर चल रहा है। जो आज दिन तक कायम है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने यह झूठी कार्यवाही पेश की है। जिसमें मौके पर विकलपेन कोई रास्ता नही होने के तथ्य भी झूठे लिखे है। एवं आवागमन बाबत अपना इजमेन्ट ऑफ नेसेसिटी होने के झूठे तथ्य उल्लेखित किये है। जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्य के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 व 8 कानूनी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तो काबिल गौर अदालत बाला के है। प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

भू.अ.नि. आ.कालू व पटवारी बलून्दा की फर्द मौका एवं जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 18.02.2022 तथा तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई एवं गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1397 रकबा 03-13 बीघा तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की आराजी की उत्तर दिशा में बलून्दा तेजपूरा अभिलिखित मार्ग से लगता हुआ अप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 1400 है जिसके लगता हुआ प्रार्थीगण का खेत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत की अप्रार्थीगण की खेत खसरा संख्या 1400 से नही के बराबर सीमा लगती है तथा अधिकतर सीमा खसरा संख्या 1396, 1395 व 1393 से लगती है तथा प्रार्थीगण अपने खेतो में आने जाने के लिए खसरा संख्या 1393 व 1392 की भूमि का उपयोग करते आ रहे है। खसरा संख्या 1399 व 1400 रास्ते की सीमा पर नही लगते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हो।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा दिनांक 18.02.2022 को तैयार एवं न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय मौका रिपोर्ट एवं टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 1397 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थीगण की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 1397 तक पहुंच के लिए दो विकल्प प्रस्तावित है। 1. प्रथम विकल्प- खसरा संख्या 1400 में से मार्क ए से बी 76 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर बनता है।

2. द्वितीय विकल्प- खसरा संख्या 1392 व 1393 में से मार्क सी से डी 114 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.0684 हैक्टर अर्थात 684 वर्गमीटर बनता है।

उपर्युक्त दोनो प्रस्तावित विकल्पो की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। किसी प्रकार का निर्माण नही है। निकटतम अभिलिखित रास्ते से प्रार्थीगण की जोत तक रास्ते हेतू प्रथम विकल्प की लम्बाई 76 मीटर तथा दूसरे विकल्प की लम्बाई 114 मीटर है इस प्रकार प्रथम विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प है।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

51– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया र्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार ी जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, नकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग नाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या [illegible] 7 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है [illegible] तथा भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रथम विकल्प बलून्दा तेजपूरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भिलिखित सड़क मार्ग खसरा संख्या 1401 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 400 के सहारे खसरा संख्या 1397 की सीमा तक मार्क ए से बी के रूप में र्शित प्रस्तावित रास्ता जो 76 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर है, न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 44934/- रूपये प्रति बीघा अर्थात 27.76 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 44934/- रूपये प्रति बीघा अर्थात 27.76 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 55.52 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 25,400/- रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार चार सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए बलून्दा तेजपूरा अभिलिखित सड़क मार्ग खसरा संख्या 1401 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1400 के सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1397 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 76 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर बनता है, को खातेदारान् के कुल रकबे में से कम किया ज़ाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 25,400 रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 1397 रकबा 03-13 बीघा की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता बलून्दा तेजपूरा अभिलिखित सड़क मार्ग खसरा संख्या 1401 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1400 के सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1397 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में मार्क ए से बी के रूप में [illegible] प्रस्तावित रास्ता जो 76 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा [illegible] हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान् [illegible] निर्धारित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.0456 हैक्टर अर्थात 456 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 25,400/- रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार चार सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 1400 के खातेदारान् के मध्य हिस्से के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा तैयार दिनांक 18.02.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested